(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 29.04.2022 का कार्यवृत

मैसर्स रामापुरा मिनरल्स प्रा. लि., द्वारा प्रस्तावित रामापुरा सिलिका सैण्ड खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 18.12 हैक्टेयर, खनन पट्टा संख्या 04/94, निकटग्राम रामापुरा, तहसील करौली, जिला करौली उत्पादन क्षमता 60,000 टीपीए (सिलिका रेत से) 2,82,360 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वृद्धि (खनिज – 2,25,890 टीपीए और अपशिष्टः– 56,470 टीपीए) और 80 टीपीएच की कुल क्षमता के लिए 3 लाइनों के क्रशर और स्क्रीनिंग को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 29.04.2022 का कार्यवाही विवरण

मैसर्स रामापुरा मिनरल्स प्रा. लि. (रामापुरा सिलिका सैण्ड खनन परियोजना) खननपट्टा संख्या 04/94, खनन क्षेत्रफल 18.12 हैक्टेयर, निकटग्राम रामापुरा, तहसील करौली, जिला करौली उत्पादन क्षमता 60,000 टीपीए (सिलिका रेत से) 2,82,360 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वृद्धि (खनिज – 2,25,890 टीपीए और अपशिष्टः– 56,470 टीपीए) और 80 टीपीएच की कुल क्षमता के लिए 3 लाइनों के क्रशर और स्क्रीनिंग को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जनसुनवाई दिनांक 29.04.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत अतेवा, तहसील एवं जिला करौली में श्री पी. आर. मीना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिती में आयोजित की गई।

जनसुनवाई की सूचना समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 25.03.2022 तथा करौली हिण्डौन भास्कर में दिनांक 26.03.2022 को प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स रामापुरा मिनरल्स प्रा. लि. की ग्राम रामापुरा, तहसील एवं जिला करौली में स्थित रामापुरा सिलिका सैण्ड खनन परियोजना, उत्पादन क्षमता 60,000 टीपीए (सिलिका रेत से) 2,82,360 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वृद्धि (खनिज – 2,25,890 टीपीए और अपशिष्टः– 56,470 टीपीए) और 80 टीपीएच की कुल क्षमता के लिए 3 लाइनों के क्रशर और स्क्रीनिंग को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री दीपेन्द्र झरवाल ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली, सरपंच ग्राम अतेवा एवं पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है। श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियॉ सुझाव/राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली की अनुमति से ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता, द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में बताया गया।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्वप्रथम नवल सिंह गुर्जर, ग्राम अतेवा, द्वारा बताया गया की उक्त खनन परियोजना को यदि पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है । उन्होने बताया की इस

दीपेन्द्र
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर

पी. आर. मीना
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, करौली

परियोजना के आने से निकट भविष्य में हमारे गाँव में उद्योग एवं व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी साथ ही साथ ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

इसके बाद श्री राजाराम जी, निवासी ग्राम रामापुरा द्वारा बताया गया कि उन्हें इस खनन परियोजना से कोई आपति नहीं है तथा खनन परियोजना के द्वारा 40–50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

श्री शम्भू सिंह, निवासी ग्राम भूराकर द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका में सुधार होंगा।

श्री इन्द्राज मीणा, निवासी रामापुरा ने बताया कि खनन परियोजना की स्वीकृति जारी की जावे जो 4 वर्ष से बन्द है उसे अतिशीघ्र चालू किया जाये ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें।

तत्पश्चात श्री महेश चन्द गुप्ता, निवासी रामापुरा द्वारा बताया गया कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने पर उन्हे कोई आपति नही हैं।

श्री हेमराज मीणा, निवासी रामापुरा द्वारा बताया कि उक्त खनन परियोजना से उन्हे कोई आपति नही है तथा इस परियोजना से स्थानीय ट्रेक्टर चालको को रोजगार मिलेगा।

श्री भीमसिंह मीणा, निवासी रामापुरा ने बताया कि खनन परियोजना की स्वीकृति जारी की जावे ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें।

श्री रामसिंह राजपूत, निवासी भूराकर ने बताया कि खनन परियोजना की स्वीकृति जारी की जावे ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें।

श्री भरतसिंह गुर्जर, निवासी भूराकर ने बताया कि खनन परियोजना की स्वीकृति जारी की जावे ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें।

श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी काशीपुरा ने बताया कि खनन परियोजना की स्वीकृति जारी की जावे ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें तथा परियोजना द्वारा पूर्व की भॉति स्कुलों इत्यादि में सीएसआर द्वारा सहयोग किया जावें।

इसके बाद सरपंच, ग्राम अतेवा ने इस परियोजना का विरोध दर्ज करते हुए आपति जताई तथा बताया की इस समय ग्राम पंचायत अतेवा में सिलिकोसिस बीमारी के 350 मरीज है तथा इस तरह की खनन परियोजना को चालू करने से इनकी संख्या 3500 हो जाएगी तथा बताया की इस खनन परियोजना द्वारा पूर्व में नियमानुसार खनन कार्य नही किया गया था जिसके कारण वह इस परियोजना का विरोध करते है । इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया कि उपरोक्त खनन परियोजना स्कुल, गॉव, सडक के नजदीक है इस सम्बन्ध में उन्हे गाईडलाईन उपलब्ध करवायी जाए । उन्होने यह भी कहा की ग्राम पंचायत अतेवा में कुल 5400 नागरिक है जिनके एक तिहाई 1800 व्यक्ति इस जनसुनवाई में आवश्यक उपस्थित होने चाहिए तथा इस खनन परियोजना की स्वीकृति जारी होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड होगा तथा इस खनन परियोजना से उत्पन्न धूल से प्रदूषण भी उत्पन्न होगा। सरपंच, ग्राम अतेवा द्वारा लिखित में प्राप्त आपत्ति पत्र की प्रति संलग्न हैं। (संलग्नक–1)

इसके प्रत्यूतर में ईकाई के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त जनसुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 की अनुपालना में 30 दिवस पूर्व ही दो समाचार पत्रों में जनसुनवाई की विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई थी। जिससे आम जन कों इस जनसुनवाई की पूर्व सूचना दी जा सके तथा यह जनसुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए ही आयोजित की जा रही हैं।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा सरपंच, ग्राम अतेवा को बताया गया की खनन पटटे की स्कुल, ग्राम, सडक से दूरी एवं खनन पटटे के आवंटन के सम्बन्ध में गाईडलाईन खान एवं भूविज्ञान विभाग,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर

पी. आर. मीना
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, करौली

राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है तथा यह भी बताया की उक्त खनन परियोजना को यदि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है तो उसे पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ही नियमानुसार ही खनन कार्य करना होंगा अन्यथा सम्बन्धित विभागों द्वारा विधिक कार्यवाही की जावेगी।

इसके पश्चात श्री दीपेन्द्र झरवाल ने ईकाई के तकनीकी सलाहकार से पूछा की क्या ये खनन परियोजना कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर परिधी के बाहर हैं। इस के प्रत्यूतर में परियोजना के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि उपवन संरक्षक (वाइल्डलाईफ), करौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खनन परियोजना कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य की बाउण्ड्री से 10 किलोमीटर परिधी के अन्दर स्थित हैं तथा ईकाई द्वारा NBWL Clearance के लिए आवेदन किया जा चुका है।

इसके बाद श्री झरवाल द्वारा उक्त खनन परियोजना के आस पास की गई वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग के स्थानों, वर्तमान में स्थित प्लान्टेशन एवं आगामी प्लान्टेशन की कार्य योजना एवं उक्त खनन परियोजना में कार्य करने वाले मजदुरो के सिलिकोसिस बीमारी के बारे में पूछा जिसके प्रत्यूतर में ईकाई के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त खनन परियोजना के 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में वायु एवं ध्वनि की गुणवत्ता जॉच की गई है जो की तय मानको के अनुरूप पाई गयी है तथा भविष्य में खनन परियोजना के चालू होने के पश्चात भी मानक तय अनुरूपों के भीतर पाए जाने की सम्भावना है इसके बाद बताया की वर्तमान में 4 वर्ष से खनन परियोजना बन्द होने से प्लान्टेशन कम है परन्तु भविष्य में सघन वृक्षारोपण किया जावेगा तथा यह भी बताया की उनकी खनन परियोजना से आज दिनांक तक किसी को भी सिलिकोसिस बीमारी नही हुई हैं।

श्री झरवाल द्वारा उक्त खनन ईकाई के प्रतिनिधी श्री अरूण गर्ग एवं तकनीकी सलाहकार को बताया गया की उक्त खनन परियोजना सिलिका सेण्ड खनिज की है जिसके कारण उन्हे उचित एवं आवश्यक रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रदान करनी होगी इसके लिए सघन वृक्षारोपण, जल छिडकाव की उचित व्यवस्था करनी होगी। ईकाई के प्रतिनिधी एवं तकनीकी सलाहकार द्वारा इस सम्बन्ध में मौखिक आश्वासन दिया गया ।

इसके बाद श्री पी. आर. मीना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा परियोजना प्रतिनिधी व तकनीकी परामर्शकर्ता से विगत वर्षो में खनन परियोजना द्वारा पानी के छिडकाव में व्यय राशि, प्लान्टेशन, ओवरबर्डन/अपशिष्ट का निस्तारण, वायु गुणवत्ता के रिकार्ड, सडक निर्माण कार्य तथा ग्राम में उक्त खनन परियोजना से सिलिकोसिस के मरीजों के बारे में पूछा। इसके प्रत्यूतर में खनन परियोजना के प्रतिनिधी द्वारा बताया गया की उक्त खनन परियोजना में वर्तमान में 95 पौधे स्थित है जिसमें मुख्यतया नीम, खेजडी, देसी बबूल एवं गुलमोहर हैं तथा बताया की उनकी खनन परियोजना में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को सिलिकोसिस बीमारी नही हुंई है तथा बताया की उनकी खान में 30 से 50 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता हैं तथा अन्य बिन्दूओं पर विगत वर्षो का रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण जवाब नहीं दिया जा सका तथा ईकाई प्रतिनिधी ने बताया की उनके द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली एवं पधारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाईमाधोपुर

(पी. आर. मीना)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट,
करौली